राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 105 / 2025

GCMS NO.- 2025/192

सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद उम्र 59 जाति ब्राहमण निवासी शिमला तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं ।

.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।
2. ओमप्रकाश पुत्र द्वारकाप्रसाद
3. किशनलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद
4. गोविन्दराम पुत्र द्वारकाप्रसाद

2 लगायत 4 जाति ब्राहमण निवासी शिमला तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।

............प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी एक्ट. तथा 136 एलआर एक्ट.

निर्णय   दिनांक : 28.08.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके राजस्व ग्राम शिमला पटवार मण्डल शिमला भू.अ.निरीक्षक दूधवा नांगलियां तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के हाल खाता सं. 46 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.2600 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.3000 है. किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि में वादी का हिस्सा 1 / 4 का खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा शेष हिस्सा उक्त खाते में दर्ज अन्य प्रतिवदीगण का है। वर्णित भूमि में सहवन से टंकणीय त्रुटि के कारण या राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का नाम सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद के स्थान पर किरोडीलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक सही नाम सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद है जो वादी के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र आदि में वादी का नाम सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम अलग–अलग दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी आ रही है। वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान कार्ड बनवाने में परेशानी होती है व वादी का राज्य सरकार द्वारा जारी का लाभ नही ले पा रहा है। वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वर्णित वाके ग्राम राजस्व ग्राम शि[मला] पटवार मण्डल शिमला भू.अ.निरीक्षक तूधवा नांगलियां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के हाल खाता सं. 46 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.2600 है, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.3000 है. किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि में वादी के गलत, दर्ज नाम किरोडीलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद के स्थान पर वादी का सही नाम सुभाषचन्द द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसादकी उद्घोषणा की जावे तथा तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 की ओर से इकबालिये जबाव दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वाद वर्णित भूमि ग्राम शिमला पटवार मण्डल शिमला भू.अ.निरीक्षक तूधवा नांगलियां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के हाल खाता सं. 46 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.2600 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.3000 है. किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम किरोडीलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद के स्थान पर वादी का सही नाम सुभाषचन्द द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसादकी उद्घोषणा की जावें तथा तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तो इसके लिए प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 सहमत तथा किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति नही है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता संख्या 46 वाके ग्राम शिमला, ग्राम पंचायत शिमला का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा), आयकर विभाग का पैन कार्ड (सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा), नामान्तकरण सं. 270 की फोटो प्रति, साक्ष्य में शपथ पत्र गोविन्दराम शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद प्रतिवादी सं. 4, आधार कार्ड (गोविन्दराम शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद प्रतिवादी सं. 4) एवं पेश किये गए।

प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतडी ने जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1434 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा से पटवारी हल्का शिमला की मूल रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश की गई है जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकरान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत पाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिमला तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–79 के हाल खाता सं. 46 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.2600 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.3000 है. किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम किरोडीलाल **पुत्र द्ववारकाप्रसाद** के स्थान पर वादी का सही नाम **सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाते की शेष प्रविष्टिं यथावत रहेगी है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:59 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

(3)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी — मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :— 105/2025 GCMS NO - 2025/192

निर्णय दिनांक :— 28:08:2025

सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा उनवान राज. सरकार आदि

दावा बाबत — **घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

वादी की ओर से **श्री हेमराजसिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से **महेन्द्रसिंह निर्वाण** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28:08:2025 को **मुकेश चौधरी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

" अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिमला तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076—79 के हाल खाता सं. 46 के हाल खसरा नम्बर 560 रकबा 0.2600 है., खसरा नम्बर 564 रकबा 0.3000 है. किता 2 कुल रकबा 0.5600 है. भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम किरोडीलाल पुत्र द्ववारकाप्रसाद के स्थान पर वादी का सही नाम सुभाषचन्द्र द्वारकाप्रसाद शर्मा पुत्र द्वारकाप्रसाद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। उक्त खाते की शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी है। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28:08:25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधि.
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पदेन सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:59 IST
Reason: SelfAttested